

पत्रांक-05/बी09-02/2017 - 200
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
28/11/17

प्रेषक,

रॉबर्ट एल० चोंगथू
सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
सभी प्राचार्य/प्राचार्या
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/प्रखंड
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय

विषय :- बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदन के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-एम०4-07/2017 (खंड) 8978/वि०
दिनांक-17.11.17 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में कंडिका (i) से
(vi) तक में निहित निदेशों के आलोक में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार कर शीघ्र
विभाग को उपलब्ध कराया जाय, जिससे ससमय प्रतिवेदन समेकित रूप से वित्त विभाग को
भेजा जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्ववासभाजन,
ह०/-
(रॉबर्ट एल० चोंगथू)
सचिव।

ज्ञापांक :- 200

पटना, दिनांक: 28/11/17

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रॉबर्ट एल० चोंगथू)
सचिव।
28/11/17

पत्र सं०-अ०पा० 66/2011..11.44/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

175

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

उप सचिव

23/11/2017

आवश्यक
बजट पत्र

24/11/17

507240-5
27/11/17

विषय: बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

पटना, दिनांक 20/11/17..

प्रसंग: मुख्य सचिव, बिहार का पत्र सं०-8978 दिनांक 17.11.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि जिलों/ विभागों से प्राप्त प्रतिवेदानुसार विभागों/ प्रमंडलों/जिलों के बैंक खातों में लंबे समय से राज्य के समेकित निधि से राशि निकासी कर रखी गयी है तथा अव्यवहृत है । यह वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देश एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 34, 176, 177 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

2. प्रासंगिक वित्त विभागीय पत्रांक 8978 दिनांक 17.11.2017 द्वारा मुख्य सचिव के स्तर से विभागों/ प्रमंडलों/ जिलों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:-

“1) संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुए, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए ।

2) बैंक खातों में संधारित छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन इत्यादि की राशि जिसका व्यय भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है, को दिनांक 15.12.2017 तक राज्य के समेकित निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ।

3) जिन बैंक खातों में संचित राशि का स्रोत ज्ञात नहीं है, तथा जिसके व्यय की संभावना नहीं है, को राज्य के समेकित निधि में जमा करने हेतु उचित शीर्ष का निर्धारण कर वित्त विभाग द्वारा अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है । ऐसी संपूर्ण राशि को 15.12.2017 तक राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।”

174

3. उपरोक्त निदेश के आलोक में निम्नांकित तीन स्थितियां परिलक्षित होगी :-

i) बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, उस विभाग का नाम एवं शीर्ष ज्ञात है। ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षों की राशि अनुलग्नक '1' में दिखलाए गए मद वार अंकित उपशीर्ष के अनुसार जमा होगी।

ii) बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, उस विभाग का नाम ज्ञात है, किन्तु शीर्ष ज्ञात नहीं है। ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षों की राशि अनुलग्नक '2' में दिखलाए गए विभाग वार अंकित उपशीर्ष के अनुसार जमा होगी।

iii) बैंक खातों में संचित राशि जहाँ से प्राप्त हुई है, उस विभाग का नाम एवं शीर्ष दोनों ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व वर्षों की राशि अनुलग्नक '3' में अंकित उपशीर्ष में जमा होगी।

4. उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित विधिनुसार बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि जिसका व्यय 31.03.2018 तक संभावित नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-8978 दिनांक 17.11.2017 में निदेशित है, कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपरोक्त निदेशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग/जिला द्वारा कोषागार से संचालित वित्तीय संव्यवहार दिनांक 31.12.2017 के उपरान्त बंद कर दिया जाएगा। अतः कृपया समय सीमा के अंतर्गत अनुवर्ती कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन
20.11.17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव।

पत्रांक:- अ०पा० 66/2011 1144/वि०, पटना, दिनांक 20.11.17
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

20.11.17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव।

पत्रांक:- अ०पा० 66/2011 1144/वि०, पटना, दिनांक 20.11.17
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.11.17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव।

173

अनुलग्नक-1

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग एवं शीर्ष की जानकारी ज्ञात है।

पूँजीगत व्यय शीर्ष (मुख्य शीर्ष 04 एवं 05 से प्रारंभ) के अन्तर्गत किसी मुख्यशीर्ष, उपमुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष के अन्तर्गत किसी उपशीर्ष से पूर्व वित्तीय वर्षों में आहरित राशि को राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा करने हेतु उपशीर्ष की विवरणी

क्रम सं०	मदें	उप शीर्ष कोड	उपशीर्ष का विवरण
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना)	0099	घटाएं पूँजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
2	राज्य स्कीम (राज्य योजना)	0199	घटाएं पूँजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
3	राज्य स्कीम (केन्द्रांश)	0299	घटाएं पूँजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
4	राज्य स्कीम (राज्यांश)	0399	घटाएं पूँजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
5	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (केन्द्रीय योजनागत योजना)	0499	घटाएं पूँजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ
6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0699	घटाएं पूँजीगत लेखों पर प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ

[Signature]
20.11.12

(72)

अनुलग्नक-1

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग एवं शीर्ष की जानकारी ज्ञात है।

राजस्व व्यय शीर्ष (मुख्य शीर्ष 02 एवं 03 से प्रारंभ), उपमुख्यशीर्ष, लघुशीर्ष के अन्तर्गत किसी उपशीर्ष से पूर्व वित्तीय वर्षों में आहरित राशि को उसी मुख्य एवं उपमुख्यशीर्ष के लघुशीर्ष "911-घटाएँ अधिक अदायगियों की वसूलियाँ" अन्तर्गत निम्नलिखित उपशीर्ष की विवरणी के अनुसार राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा किया जायेगा।

क्रम सं०	मदें	उप शीर्ष कोड	उपशीर्ष का विवरण
1	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना)	0001	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0002	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
2	राज्य स्कीम (राज्य योजना)	0101	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0102	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
3	राज्य स्कीम (केन्द्रांश)	0201	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0202	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
4	राज्य स्कीम (राज्यांश)	0301	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0302	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
5	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (केन्द्रीय योजनागत योजना)	0401	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0402	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	0601	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी
		0602	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

[Signature]
22.11.18

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

क्रम सं०	विभाग का नाम	मांग संख्या	घटाएं वापसियों के अन्तर्गत लेखा शीर्ष
1	कृषि विभाग	01	मुख्यशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	02	मुख्यशीर्ष 2403-पशु-पालन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
3	भवन निर्माण विभाग	03	मुख्यशीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	04	मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
5	निर्वाचन विभाग	06	मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

[Handwritten Signature]
20.11.18

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

6	निगरानी विभाग	07	मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
7	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	08	मुख्यशीर्ष 2205-कला एवं संस्कृति, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
8	सहकारिता विभाग	09	मुख्यशीर्ष 2425-सहकारिता, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
9	ऊर्जा विभाग	10	मुख्यशीर्ष 2801-विद्युत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
10	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	11	मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0102-अधिक, अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
11	वित्त विभाग	12	मुख्यशीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.11.18

अनुलग्नक-2

169

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

12	पंचायती राज विभाग	16	मुख्यशीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
13	वाणिज्यकर विभाग	17	मुख्यशीर्ष 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
14	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	18	मुख्यशीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडागार, उपमुख्यशीर्ष-01-खाद्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0102-अधिक, अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
15	पर्यावरण एवं वन विभाग	19	मुख्यशीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्यशीर्ष-01-वानिकी, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
16	स्वास्थ्य विभाग	20	मुख्यशीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
17	शिक्षा विभाग	21	मुख्यशीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.11.18

168

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

18	गृह विभाग	22	मुख्यशीर्ष 2055-पुलिस, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
19	उद्योग विभाग	23	मुख्यशीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
20	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	24	मुख्यशीर्ष 2220-सूचना तथा प्रचार, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
21	सूचना प्रावैधिकी विभाग	25	मुख्यशीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-07-दूर-संचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
22	श्रम संसाधन विभाग	26	मुख्यशीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्यशीर्ष-01-श्रम, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
23	विधि विभाग	27	मुख्यशीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

20.11.17

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

24	खान एवं भूतत्व विभाग	29	मुख्यशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-02-खानों का विनियमन तथा विकास, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
25	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	30	मुख्यशीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
26	संसदीय कार्य विभाग	31	मुख्यशीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
27	सामान्य प्रशासन विभाग	33	मुख्यशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
28	योजना एवं विकास विभाग	35	मुख्यशीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उपमुख्यशीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
29	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	36	मुख्यशीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्यशीर्ष-01-जल पूर्ति, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

[Handwritten Signature]
20.11.19

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

30	ग्रामीण कार्य विभाग	37	मुख्यशीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
31	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	38	मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प पंजीकरण, उपमुख्यशीर्ष-02-स्टाम्प न्यायकेतर, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
32	आपदा प्रबंधन विभाग	39	मुख्यशीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
33	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	40	मुख्यशीर्ष 2029-भू-राजस्व, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
34	पथ निर्माण विभाग	41	मुख्यशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष-337-सड़क निर्माण कार्य, उपशीर्ष-0199-घटाएं पूंजीगत लेखों में प्राप्ति तथा वसूलियाँ
35	ग्रामीण विकास विभाग	42	मुख्यशीर्ष 2505-ग्राम रोजगार, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य कार्यक्रम, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0102-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

[Signature]
20-11-13

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

36	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	43	मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
37	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	44	मुख्यशीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
38	गन्ना उद्योग विभाग	45	मुख्यशीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
39	पर्यटन विभाग	46	मुख्यशीर्ष 3452-पर्यटन, उपमुख्यशीर्ष-01-पर्यटक अवसंरचना, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
40	परिवहन विभाग	47	मुख्यशीर्ष 3055-सड़क परिवहन, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
41	नगर विकास एवं आवास विभाग	48	मुख्यशीर्ष 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

[Handwritten Signature]
20.11.17

184

अनुलग्नक-2

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग की जानकारी ज्ञात हो किन्तु निकासी शीर्ष की जानकारी ज्ञात नहीं है।

42	जल संसाधन विभाग	49	मुख्यशीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
43	लघु जल संसाधन विभाग	50	मुख्यशीर्ष 2702-लघु सिंचाई, उपमुख्यशीर्ष-02-भू-जल, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी
44	समाज कल्याण विभाग	51	मुख्यशीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-02-समाज कल्याण, लघुशीर्ष-911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

Handwritten signature
20.11.18

बैंक खातों में संचित राशि/अवशेष राशि जहाँ राशि से संबंधित विभाग एवं शीर्ष दोनों की जानकारी ज्ञात नहीं है।

क्रम सं०	विभाग का नाम	मांग संख्या	घटाएँ वापसियों के अन्तर्गत लेखा शीर्ष
1	सभी विभाग	सभी मांग	मुख्यशीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएं, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-911-घटाएँ अधिक अदायगियों की वसूलियाँ, उपशीर्ष-0002-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी

[Signature]
20.11.17

अंजनी कुमार सिंह, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव

Anjani Kumar Singh, I.A.S.

Chief Secretary



बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015

GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel. No. : 0612-2215804 (O), Fax : 0612-221708
E-mail : anjani41@yahoo.com

पत्रांक-एम-4-07/2017(खंड).....8978...../वि०
दिनांक.....17.....नवम्बर, 2017

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदित करने के संबंध में ।

महाशय,

वित्त विभागीय पत्रांक-5819/वि० दिनांक 19.08.2017 एवं 6071/वि० दिनांक 30.08.2017 द्वारा सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों से विहित प्रपत्र A, B एवं C में बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में 35 विभागों, 7 प्रमंडलों एवं 23 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 21002 बैंक खाते संधारित हैं जिनमें कतिपय विभागों के अंतर्गत कार्यरत बोर्ड/निगम/सोसाईटी/आयोग भी शामिल हैं । दिनांक 31.08.2017 तक इन बैंक खातों में कुल 31265.24 करोड़ रुपये (बोर्ड/निगम/आयोग/सोसाईटी सहित) संचित हैं । बैंक खातों एवं उनमें संचित राशि के अवलोकन से प्रतीत होता है कि कतिपय विभागों/जिलों में वित्त विभाग की सहमति के बिना बड़ी संख्या में बैंक खाते खोलकर उनमें बहुत बड़ी राशि संचित की गयी है, जो अत्यन्त चिंतनीय है । इससे यह भी परिलक्षित होता है कि समय-समय पर निर्गत वित्त विभागीय निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

2. बैंक खातों में संचित राशि के समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य परिलक्षित होते

(i) विभागों/जिलों में वित्त विभाग की सहमति के बिना बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गये हैं जिनमें बहुत बड़ी राशि संचित की गयी है, जो स्पष्ट रूप से समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेशों एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-34, 176, 177 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है ।

(ii) विभागों/जिलों द्वारा इन बैंक खातों में ऐसी राशि जो लंबे समय से पार्क कर रखी गयी है तथा अव्यवहृत है, के कारण राज्य के समेकित निधि के कैश बैलेस पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, वही दूसरी ओर वर्षवार राज्य की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण उगाही की जाती है जिस पर एक बड़ी राशि ब्याज के रूप में राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है ।

3. सम्यक् विचारोपरान्त सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा निम्नांकित अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है :-

(i) सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुये, जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि जिसके व्यय की संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराना सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) विभाग के द्वारा समीक्षोपरान्त जिन बैंक खातों का संधारण अपरिहार्य पाया जाता है, के संबंध में वित्त विभाग की विशेष अनुमति संचिका में युक्तियुक्त कारणों के साथ प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए। जिन बैंक खातों को वित्त विभाग की विशेष अनुमति प्राप्त किये बगैर खोला गया है, के संदर्भ में वित्त विभागीय घटनोत्तर अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

(iii) जिन बैंक खातों में संचित राशि का श्रोत ज्ञात नहीं है, तथा जिसके व्यय की संभावना नहीं है, को राज्य के समेकित निधि में जमा करने हेतु उचित शीर्ष का निर्धारण कर वित्त विभाग के द्वारा अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है। ऐसी संपूर्ण राशि को 15.12.2017 तक राज्य की समेकित निधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) बैंक खातों में संधारित छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना इत्यादि की राशि जिसका व्यय भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता है, को 15.12.2017 तक राज्य की समेकित निधि में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

(v) वित्त विभागीय पत्र संख्या-7691/वि0 दिनांक 22.09.2017 की कंडिका-ग में विभागों/कार्यालयों में संधारित बैंक खातों के संचालन एवं वित्तीय संव्यवहार हेतु निर्गत दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन 30.11.2017 तक सुनिश्चित किया जाए।

(vi) भागलपुर जिले में घटित सृजन घोटाले की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये बैंक खातों के संधारण की आवश्यकता तथा इससे वित्तीय संव्यवहार संबंधी सभी कार्यों के लिये संबंधित विभागों को उत्तरदायी बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी विभाग अपने स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंक खातों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे कि इनके संधारण में सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन किया गया है।

उपरोक्त कंडिका-(i) से (vi) में निहित निदेशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना अपरिहार्य है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उपरोक्त निदेशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग/जिला द्वारा कोषागार से वित्तीय संव्यवहार दिनांक 31.12.2017 के उपरान्त बंद कर दिया जाएगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनुलग्नक:- विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

31/12/17

17/11/17

(अंजनी कुमार सिंह)

159

-3-

विभागों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में संधारित बैंक खातों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा का प्रतिवेदन

विभाग	विभाग/संलग्न कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खातों की कुल संख्या	खातों में संधारित कुल राशि (30 जून एवं 31 दिसम्बर तक)	अभ्युक्ति

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में उल्लेखित सभी बैंक खाते वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर संधारित किये गये हैं ।
2. उपरोक्त बैंक खातों के संचालन एवं वित्तीय संव्यवहार के क्रम में वित्त विभागीय पत्र संख्या-7691/वि0 दिनांक 22.09.2017 की कंडिका-ग में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन किया गया है ।

हस्ताक्षर

प्रधान सचिव/सचिव